Model Answer

Que. On what grounds a people's representative can be disqualified under the representation of people act, 1951? Also, mention the remedies available to such a person against his disqualification?

The **Representation of the People Act, 1951** is an important piece of legislation that outlines the qualifications and disqualifications of elected representatives in India. It ensures the integrity of democratic processes and sets specific grounds under which a people's representative can be disqualified. These grounds safeguard the electoral process, promoting fairnes

Grounds for Disqualification

1. **Criminal Conviction**: A person can be disqualified if convicted and sentenced to imprisonment for two or more years for certain offenses, such as corruption or electoral malpractices. The disqualification remains in place for six years after serving the sentence.
2. **Failure to Submit Election Expenses**: If a representative fails to submit a statement of election expenses within the prescribed time frame, they can be disqualified under Section 10A of the Act.
3. **Defection (Anti-Defection Law)**: A person can be disqualified if they voluntarily give up their membership of the political party they were elected from or violate the party's whip. This provision was introduced to curb political defections and ensure stability in the legislature.
4. **Unsound Mind**: A person may be disqualified if they are declared by a competent court to be of unsound mind.
5. **Ineligibility under Constitutional Provisions**: Representatives can also be disqualified on grounds of non-eligibility such as not being a citizen of India, not fulfilling the age requirements, or being an undischarged insolvent.
6. **Office of Profit**: If an elected representative holds an office of profit under the government, they are disqualified. The idea is to prevent conflict of interest, ensuring that representatives are not swayed by benefits granted by the government.

Remedies Against Disqualification

1. **Appeal to the Election Commission**: In certain cases, an individual who is disqualified may file an appeal with the Election Commission of India. The commission has the authority to review the case and reverse the disqualification if deemed appropriate.
2. **Election Tribunal**: If a person is disqualified due to a dispute regarding election results or expenses, they can challenge the disqualification in an Election Tribunal, which is set up for this purpose.
3. **Judicial Review**: In cases where the disqualification is deemed unjust, the individual can approach the High Court or Supreme Court under Article 226 or Article 32 of the Constitution, seeking judicial intervention and remedy.
4. **Legislative Remedy:** In cases of disqualification due to defection, the member may approach the Speaker or Chairman of the respective House, who can reconsider the case under the provisions of the Tenth Schedule of the Constitution.

The grounds for disqualification under the Representation of the People Act, 1951, serve to maintain the integrity and fairness of the Indian electoral system. However, the disqualification process is not absolute and provides remedies through judicial, electoral, and legislative channels. These mechanisms ensure that no representative is unjustly disqualified and that the democratic process remains transparent and accountable.

प्रश्न: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत किन आधारों पर किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य ठहराया जा सकता है? साथ ही, ऐसे व्यक्ति को उसकी अयोग्यता के विरुद्ध उपलब्ध उपायों का भी उल्लेख करें?

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 एक महत्वपूर्ण कानून है जो भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की योग्यता और अयोग्यता को रेखांकित करता है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अखंडता सुनिश्चित करता है और विशिष्ट आधार निर्धारित करता है जिसके तहत किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य ठहराया जा सकता है। ये आधार चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा करते हैं, निष्पक्षता को बढ़ावा देते हैं।

अयोग्यता के आधार

1. आपराधिक दोषसिद्धि: किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार या चुनावी कदाचार जैसे कुछ अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने और दो या अधिक वर्षों के कारावास की सजा सुनाए जाने पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। सजा काटने के बाद छह साल तक अयोग्यता बनी रहती है।

2. चुनाव खर्च जमा करने में विफलता: यदि कोई प्रतिनिधि निर्धारित समय सीमा के भीतर चुनाव खर्च का विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसे अधिनियम की धारा 10 ए के तहत अयोग्य ठहराया जा सकता है।

3. दलबदल (दलबदल विरोधी कानून): यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है जिससे वह चुना गया था या पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करता है तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। यह प्रावधान राजनीतिक दलबदल को रोकने और विधायिका में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया था।

4. अस्वस्थ मन: यदि किसी व्यक्ति को सक्षम न्यायालय द्वारा अस्वस्थ मन का घोषित किया जाता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

5. संवैधानिक प्रावधानों के तहत अयोग्यता: प्रतिनिधियों को अयोग्यता के आधार पर भी अयोग्य घोषित किया जा सकता है जैसे कि भारत का नागरिक न होना, आयु संबंधी आवश्यकताओं को पूरा न करना या दिवालिया न होना।

6. लाभ का पद: यदि कोई निर्वाचित प्रतिनिधि सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है, तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। इसका उद्देश्य हितों के टकराव को रोकना है, यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिनिधि सरकार द्वारा दिए गए लाभों से प्रभावित न हों।

अयोग्यता के विरुद्ध उपाय

1. चुनाव आयोग में अपील: कुछ मामलों में, अयोग्य घोषित किया गया व्यक्ति भारत के चुनाव आयोग में अपील दायर कर सकता है। आयोग के पास मामले की समीक्षा करने और उचित समझे जाने पर अयोग्यता को उलटने का अधिकार है।

2. चुनाव न्यायाधिकरण: यदि किसी व्यक्ति को चुनाव परिणामों या व्यय से संबंधित विवाद के कारण अयोग्य घोषित किया जाता है, तो वह चुनाव न्यायाधिकरण में अयोग्यता को चुनौती दे सकता है, जिसे इस उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया है।

3. न्यायिक समीक्षा: ऐसे मामलों में जहां अयोग्यता को अन्यायपूर्ण माना जाता है, व्यक्ति न्यायिक हस्तक्षेप और उपाय की मांग करते हुए संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।

4. विधायी उपाय: दलबदल के कारण अयोग्यता के मामलों में, सदस्य संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति से संपर्क कर सकता है, जो संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत मामले पर पुनर्विचार कर सकते हैं।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत अयोग्यता के आधार भारतीय चुनावी प्रणाली की अखंडता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। हालाँकि, अयोग्यता प्रक्रिया निरपेक्ष नहीं है और न्यायिक, चुनावी और विधायी चैनलों के माध्यम से उपचार प्रदान करती है। ये तंत्र सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी प्रतिनिधि अन्यायपूर्ण रूप से अयोग्य न हो और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेह बनी रहे।